भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता का न्यायालय, सरायकेला।

टी0 ए0 मिस वाद सं0 76A/16-17

मंगल सरदार बनाम रेणुका उराँव

:: आदेश ::

13/06/17

अभिलेख उपस्थापित किया गया। अंचल अधिकारी सरायकेला का पत्रांक 440 दिनांक19.05.17 के द्वारा टी0 ए0 मिस वाद सं0-76A /16-17 से जाँच प्रतिवेदन एवं तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। इस वाद मे मंगल सरदार, पिता-स्व0केपा सरदार उर्फ खेपा सरदार,(भूमिज)ग्रम-नरसिंहपुर, थाना-सरायकेला, जिला- सरायकेला-खरसावॉ ने पारिवारिक खर्च हेतु रेणुका उराँव ,पिता-वंशी उराँव, ग्राम-जगन्नाथपुर, थाना- सरायकेला, जिला-सरायकेला -खरसावाँ को निम्नांकित भूमि की विक्री करने के लिए छोटानागपुर की धारा46(1) **A** के अंतर्गत अनुमति हेतु अनुरोध किया है। केता के निवास के संबंध मे आधार कार्ड, आवासीय प्रमाण पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र दिया गया है।

:: भूमि का विवरण::

मौजा	थाना न0	खाता न0	खेसरा न0	रकवा
वासुदेवपुर	284	03	162	0.07½ ए0

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, सरायकेला के न्यायालय द्वारा आम सूचना का प्रकाशन किया गया। निर्धारित तिथि तक किसी ने किसी प्रकार की कोई आपत्ति नही किया है अंचल अधिकारी सरायकेला द्वारा जॉच प्रतिवेदन समर्पित करते हुए भूमि विक्री करने की अनुशंसा की गई है। जॉच प्रतिवेदन एवं संलग्न कागजात से पता चलता है कि प्रस्तावित भूमि विक्रेता के पिता के नाम पर खतियान मे दर्ज है। आवेदक के हिस्से मे लगभग 2.27 एकड़ जमीन है। जिसमे से0.07½ एकड़ विक्री करने के पश्चात 2.19½ एकड़ भूमि बचती है। विक्रेता अपने दखल कब्जा भूमि को विक्री करना चाहते है। प्रतिवेदनानुसार विक्रेता एवं क्रेता एक ही थाना के रहने वाले है। विक्रेता की जाति भूमिज एवं क्रेता की जाति उराँव है, जो (अ0ज0जा0) वर्ग मे आते है।

उपयुक्त तथ्यो एवं अंचल अधिकारी के अनुशंसा के आलोक मे उभय पक्ष के निजी दायित्व पर 0.07½एकड़ भूमि विक्री करने की अनुमति दी जाती है

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
सरायकेला